राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्र. एफ 21(31)ग्रावि/नरेगा/निविदा/पार्ट–III जयपुर, दिनांक 21 JUN 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय: महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पंचायत समिति स्तर पर सामग्री उपापन के संबंध में दिशा निर्देश बाबत।

संदर्भ: इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 31.01.2017 एवं ग्रामीण विकास विभाग अनुभाग–5 का पत्र दिनांक 13.04.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सामग्री के उपापन के संबंध में पूर्व निर्देशित किया गया है कि "पंचायती राज संस्थाएं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निविदा के आधार पर कार्य कराने की स्थिति में संबंधित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा गठित क्रय समिति के सभी सदस्यों की अनिवार्य उपस्थिति के सिफारिश के आधार पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उपापन संस्था निर्णय हेतु अधिकृत है"।

सरपंच संघ द्वारा बताया गया है कि कुछ ग्राम पंचायत ई उपापन के लिए स्वयं के स्तर पर सक्षम होने के बावजूद भी उनकी निविदाए पंचायत समिति द्वारा निर्णीत की गई है जो कि उचित नहीं है। अतः यदि किसी ग्राम पंचायत में ऐसा पाया जाता है कि पंचायत समिति स्तर से अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग कर निविदाए निर्णित की गई हो तो ऐसी निविदाओं की समीक्षा कर इन्हें निरस्त कराने की कार्यवाही करावें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

21.6.2017

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस।
6. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
7. परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, समस्त।
8. विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।

वित्तीय सलाहकार, ईजीएस